## न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 804 / 2014 संस्थित दि: 04 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- — अभियोगी

## विरुद

योगेश पिता सीटूलाल बिसेन, उम्र 26 साल, जाति पवार, निवासी ग्राम धुर्वा, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – – आरोपी

## <u> -:: उर्पापण - आदेश ::</u>-

## <u>(आज दिनांक 18/09/2014 को उपार्पित किया गया)</u>

- (01) 💉 इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया सरिता ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा ने दिनांक 06.08.2014 में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 06.08.2014 को उसके घर में अकेली थी वह खाना बना रही थी। उसके माता—पिता खेत में काम करने चले गये। आरोपी योगेश उसके घर के अन्दर आया और उसे बुरी नियत से बाहो में पकड़ लिया और बुरा काम करने के लिये कमरे में ले जा रहा था। वह हाथ छुड़ाकर बाहर निकली आरोपी भाग गया फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी योगेश के विरुद्ध अपराध कमांक 107/14 अन्तर्गत धारा 354, 452 मा.दं.वि. 354(क)(1), 354(ख) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम एवं 3(1)11 एस.सी./एस. टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 452 भा.दं.वि. 354(क)(1), 354(ख) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम एवं 08 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3(1)11 एस.सी/एस.टी. एक्ट के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 354, 452 भा.दं.वि. 354(क)(1), 354(ख) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम एवं 08 लैंगिक अपराधों से बालकों का

-//02//- आपराधिक प्र.क.: 804/2014

संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3(1)11 एस.सी / एस.टी. एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।, (06)
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (07)महोदय, बालाघाट को भेजी जावे 👠
- प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के (80)समक्ष दिनांक 30.09.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

तम् त्रिक्तिः इर, जिला (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट